

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 464]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 12, 2013/भाद्र 21, 1935

No. 464]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 12, 2013/BHADRA 21, 1935

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय)

शुद्धि पत्र

मुम्बई, 10 सितम्बर, 2013

सा.का.नि. 624(अ).—भारत सरकार के राजपत्र, असाधारण - भाग II, खंड 3, उप-खंड (i), 30.10.2012 के सा.का.नि. सं. 797 (अ) के जरिये भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग, केंद्रीय कार्यालय की 29 मई, 2012 की अधिसूचना सं. फेमा. 230/2012-आरबी में,

(i) विनियम 2 (i) के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

" (2) एक कंपनी जो माइक्रो और लघु उद्यम (MSE) (पहले लघु औद्योगिक इकाई के नाम से जानी जाती थी) हैं जिसमें निर्यात उन्मुख इकाई अथवा निर्यात मुक्त व्यापार क्षेत्र की इकाई अथवा निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र अथवा साफ्टवेयर टेक्नालाजी पार्क अथवा इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नालाजी पार्क स्थित इकाई शामिल हैं और जो इस अनुसूची के अनुबंध ए में उल्लिखित गतिविधि/क्षेत्र में संलग्न नहीं है, पैराग्राफ 1 में उल्लिखित भारत के बाहर के निवासी किसी व्यक्ति को अनुसूची के अनुबंध बी में विनिर्दिष्ट सीमा के अधीन शेयर अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर उसमें वर्णित प्रवेश मार्गों और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के उपबंधों के अंतर्गत जारी कर सकती है।"

(ii) विनियम 2 (ii) के बाद, निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ा जाएगा, अर्थात् :

स्पष्टीकरण — उपर्युक्त उप-पैराग्राफ (2) और (3) के प्रयोजन हेतु माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम को उपबंधों के अनुसार, (i) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी उद्योग से संबंधित माल के विनिर्माण अथवा उत्पादन से संलग्न किसी उद्यम के मामले में, माइक्रो उद्यम का अर्थ उस उद्यम से है जिसके संयंत्र और मशीनरी में निवेश पच्चीस लाख रुपये से अधिक न हो; लघु उद्यम का अर्थ उस उद्यम से है जिसके संयंत्र और मशीनरी में निवेश पच्चीस लाख रुपये से अधिक किन्तु पांच करोड़ रुपये से अधिक न हो; सेवाएं उपलब्ध कराने अथवा देने में संलग्न उद्यमों के मामले में, माइक्रो उद्यम का अर्थ ऐसे उद्यम से है, जहाँ उपकरणों में निवेश दस लाख रुपये से अधिक न हो; लघु उद्यम का अर्थ ऐसे उद्यम से है, जहाँ उपकरणों में निवेश दस लाख रुपये से अधिक किन्तु दो करोड़ रुपये से अधिक न हो;"

(iii) पाद टिप्पणी (i) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

"(i) मूल विनियमावली, सरकारी राजपत्र के भाग II में, खण्ड 3, उप खण्ड (i) में 8 मई, 2000 के सा.का.नि.सं.406 (अ) में प्रकाशित की गई और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गई:

- 02 मार्च, 2001 के सा.का.नि. सं. 158 (अ)
- 13 मार्च, 2001 के सा.का.नि. सं. 175 (अ)
- 14 मार्च, 2001 के सा.का.नि. सं. 182 (अ)
- 02 जनवरी, 2002 के सा.का.नि. सं. 4 (अ)
- 19 अगस्त, 2002 के सा.का.नि. सं. 574 (अ)
- 18 मार्च, 2003 के सा.का.नि. सं. 223 (अ)
- 18 मार्च, 2003 के सा.का.नि. सं. 225 (अ)
- 22 जुलाई, 2003 के सा.का.नि. सं. 558 (अ)
- 23 अक्तूबर, 2003 के सा.का.नि. सं. 835 (अ)
- 22 नवंबर, 2003 के सा.का.नि. सं.899 (अ)
- 07 जनवरी, 2004 के सा.का.नि. सं.12 (अ)
- 23 अप्रैल, 2004 के सा.का.नि. सं.278 (अ)
- 16 जुलाई, 2004 के सा.का.नि. सं.454 (अ)
- 21 सितंबर, 2004 के सा.का.नि. सं.625 (अ)
- 08 दिसंबर, 2004 के सा.का.नि. सं.799 (अ)
- 01 अप्रैल, 2005 के सा.का.नि. सं.201 (अ)
- 01 अप्रैल, 2005 के सा.का.नि. सं.202 (अ)
- 25 जुलाई, 2005 के सा.का.नि. सं.504 (अ)

- 25 जुलाई, 2005 के सा.का.नि. सं. 505 (अ)
 29 जुलाई, 2005 के सा.का.नि. सं. 513 (अ)
 22 दिसंबर, 2005 के सा.का.नि. सं. 738 (अ)
 19 जनवरी, 2006 के सा.का.नि. सं. 29 (अ)
 11 जुलाई, 2006 के सा.का.नि. सं. 413 (अ)
 14 नवंबर, 2007 के सा.का.नि. सं. 712 (अ)
 14 नवंबर, 2007 के सा.का.नि. सं. 713 (अ)
 29 नवंबर, 2007 के सा.का.नि. सं. 737 (अ)
 05 अगस्त, 2008 के सा.का.नि. सं. 575 (अ)
 30 दिसंबर, 2008 के सा.का.नि. सं. 896 (अ)
 01 दिसंबर, के 2009 सा.का.नि. सं. 851 (अ)
 2 अप्रैल 1, 2010 के सा.का.नि. सं. 34 (अ)
 03 अगस्त, 2012 के सा.का.नि. सं. 606 (अ)
 30 अक्तूबर, 2012 के सा.का.नि. सं. 796 (अ)
 10 नवंबर, 2012 के सा.का.नि. सं. 821 (अ)

[सं. फेमा-230/2012-आर.बी.]

सी. डी. श्रीनिवासन, मुख्य महाप्रबंधक

RESERVE BANK OF INDIA
(FOREIGN EXCHANGE DEPARTMENT)
 (CENTRAL OFFICE)
CORRIGENDUM

Mumbai, 10th September, 2013

G.S.R. 624(E).—In the Notification No. FEMA.230/2012-RB dated 29th May, 2012 of the Reserve Bank of India, Foreign Exchange Department, Central Office, published in the Gazette of Government of India, Extraordinary – Part II, Section 3, Sub-Section (i) vide G.S.R. No. 797(E) dated 30.10.2012,

- (i) for Regulation 2(i), the following shall be substituted, namely:

“(2) A company which is an Micro and Small Enterprise (MSE) (earlier Small Scale Industrial Unit) including an Export Oriented Unit or a Unit in a Free Trade Zone or in an Export Processing Zone or in a Software Technology Park or in an Electronic Hardware Technology Park, and which is not engaged in any activity/sector mentioned in Annex A to this schedule may issue shares or convertible debentures to a person resident outside India referred to in paragraph 1, subject to the limits prescribed in Annex B to this schedule, in accordance with the Entry Routes specified therein and the provision of Foreign Direct Investment Policy, as notified by the Ministry of Commerce & Industry, Government of India, from time to time.”

- (ii) after Regulation 2(ii), the following Explanation shall be added, namely:

“Explanation - For the purposes of sub-paragraphs(2) and (3) above, in terms of the provisions of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, (i) in the case of the enterprises engaged in the manufacture or production of goods pertaining to any industry specified in the first schedule to the industries (Development and regulation) Act, 1951, a micro enterprise means where the investment in plant and machinery does not exceed twenty five lakh rupees; a small enterprise means where the investment in plant and machinery is more than twenty five lakh rupees but does not exceed five crore rupees; (ii) in the case of the enterprises engaged in providing or rendering services, a micro enterprise means where the investment in equipment does not exceed ten lakh rupees; a small enterprise means where the investment in equipment is more than ten lakh rupees but does not exceed two crore rupees.”

(iii) the Foot note (i) may be substituted, namely

“(i) The Principal Regulations were published in the Official Gazette vide G.S.R. No.406 (E) dated May 8, 2000 in Part II, Section 3, sub-Section (i) and subsequently amended as under:-

G.S. R.No. 158(E), dated 02.03.2001

G.S.R. No. 175(E), dated 13.03.2001

G.S.R. No. 182(E), dated 14.03.2001

G.S.R. No. 4(E), dated 02.01.2002

G.S.R. No. 574(E), dated 19.08.2002

G.S.R. No. 223(E), dated 18.03.2003

G.S.R. No. 225(E), dated 18.03.2003

G.S.R. No. 558(E), dated 22.07.2003

G.S.R. No. 835(E), dated 23.10.2003

G.S.R. No. 899(E), dated 22.11.2003

G.S.R. No. 12(E), dated 07.01.2004

G.S.R. No. 278(E), dated 23.04.2004

G.S.R. No. 454(E), dated 16.07.2004

G.S.R. No. 625(E), dated 21.09.2004

G.S.R. No. 799(E), dated 08.12.2004

G.S.R. No. 201(E), dated 01.04.2005

G.S.R. No. 202(E), dated 01.04.2005

G.S.R. No. 504(E), dated 25.07.2005

G.S.R. No. 505(E), dated 25.07.2005

G.S.R. No. 513(E), dated 29.07.2005

G.S.R. No. 738(E), dated 22.12.2005

G.S.R. No. 29(E), dated 19.01.2006

G.S.R. No. 413(E), dated 11.07.2006

G.S.R. No. 712(E), dated 14.11.2007

G.S.R. No. 713(E), dated 14.11.2007

G.S.R. No. 737(E), dated 29.11.2007

G.S.R. No. 575(E), dated 05.08.2008

G.S.R. No. 896(E), dated 30.12.2008
 G.S.R. No. 851(E), dated 01.12.2009
 G.S.R. No. 341 (E), dated 21.04.2010
 G.S.R. No. 606(E), dated 03.08.2012
 G.S.R. No. 796(E), dated 30.10.2012
 G.S.R. No.821 (E), dated 10.11.2012."

[No. FEMA-230/2012-RB]

C. D. SRINIVASAN, Chief General Manager

शुद्धि पत्र

मुम्बई, 10 सितम्बर, 2013

सा.का.नि. 625(अ). —भारत सरकार के राजपत्र, असाधारण - भाग II, खंड 3, उप-खंड (i), 17.12.2012 के सा.का.नि. सं. 894 (अ) के जरिये भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग, केंद्रीय कार्यालय की 25 सितंबर 2012 की अधिसूचना सं. फेमा. 237/2012-आरबी में,

- (i) "उक्त अधिसूचना के विनियम (3) के बाद, निम्नलिखित विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात: —" शब्दों के लिए "उक्त अधिसूचना के पैराग्राफ (3) के बाद, निम्नलिखित पैराग्राफ जोड़ा जाएगा, अर्थात: —" शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे।
- (ii) स्पष्टीकरण में, "इस विनियम के प्रयोजन के लिए" शब्दों के लिए "इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए" शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

[सं. फेमा-237/2012-आरबी.]

सी. डी. श्रीनिवासन, मुख्य महाप्रबंधक

CORRIGENDUMMumbai, the 10th September, 2013

G.S.R. 625(E).—In the Notification No. FEMA.237/2012-RB dated September 25, 2012 of the Reserve Bank of India, Foreign Exchange Department, Central Office, published in the Gazette of Government of India, Extraordinary- Part II, Section 3, Sub-Section (i) vide G.S.R. No. 894 (E) of 2012 dated 17.12.2012,

- (i) For the words, "After Regulation (3) of the said Notification, the following Regulation shall be inserted, namely:- ", the words "After paragraph(3) of the said Notification, the following paragraph shall be inserted, namely:- " shall be substituted.
- (ii) In the Explanation, for the words, "For the purpose of this regulation", the words, "For the purpose of this Notification" shall be substituted.

[No. FEMA-237/2012-RB]

C. D. SRINIVASAN, Chief General Manager

शुद्धि पत्र

मुम्बई, 10 सितम्बर, 2013

सा.का.नि. 626(अ). —भारत सरकार के राजपत्र, असाधारण- भाग II, खंड 3, उप-खंड (i), 30.10.2012 के सा.का.नि. सं. 797 (अ) के जरिये भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग, केंद्रीय कार्यालय की 19 अक्तूबर 2012 की अधिसूचना सं. फेमा. 243/2012-आरबी में,

(i) विनियम 2 में, (xiiए) के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्

"(xiiए) अर्हता प्राप्त विदेशी निवेशक का अर्थ-

(ए) अगस्त 2011 के नौवें दिन से जुलाई 2012 के 15वें दिन तक की अवधि के दौरान कोई व्यक्ति जो निम्नलिखित मानदंड संबंधित समय पर पूरे करता है;

(i) ऐसे देश का निवासी है जो कि वित्तीय कार्रवाई कार्यदल (एफएटीएफ) के मानदंडों का पालन करता है और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन के बहु-पक्षीय समझौता ज्ञापन का हस्ताक्षरकर्ता है; और

(ii) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा विनिर्दिष्ट अपने ग्राहक को जानने संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करता है; बशर्ते कि ऐसा व्यक्ति सेबी के पास विदेशी संस्थागत निवेशक अथवा विदेशी जोखिम पूँजी निवेशक के रूप में पंजीकृत न हो।

(बी) जुलाई 2012 के 16वें दिन से जो व्यक्ति निम्नलिखित मानक संबंधित समय पर पूरे करता है:

(i) ऐसे देश का निवासी है जो कि वित्तीय कार्रवाई कार्य दल का सदस्य अथवा उस समूह का सदस्य है जो वित्तीय कार्रवाई कार्य दल का सदस्य है; और

(ii) उस देश का निवासी है जो कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन के बहु-पक्षीय समझौता ज्ञापन का हस्ताक्षरकर्ता है (और जिसे परिशिष्ट ए में हस्ताक्षरकर्ता के रूप में संदर्भित किया गया है) अथवा सेबी के साथ द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन का हस्ताक्षरकर्ता है;

बशर्ते कि ऐसा व्यक्ति उस देश का निवासी न हो जिसे वित्तीय कार्रवाई कार्यदल द्वारा समय-समय पर जारी सार्वजनिक वक्तव्य/विवरण में उस देश के रूप में सूचीबद्ध किया गया है जो धन शोधन निवारण/आतंकवाद के वित्तपोषण के प्रतिरोध संबंधी रणनीतिक कमियों के क्षेत्र के रूप में दर्ज किया गया है, जिनके लिए प्रति उपाय लागू हैं अथवा जिसने संबंधित कमियों के निवारण के लिए पर्याप्त प्रगति नहीं की है अथवा कमियों को दूर करने के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यदल के साथ कार्रवाई योजना विकसित करने का वादा नहीं किया है;

बशर्ते कि ऐसा व्यक्ति भारत में निवास नहीं करता है;

बशर्ते यह भी कि ऐसा व्यक्ति सेबी के पास विदेशी संस्थागत निवेशक अथवा विदेशी संस्थागत निवेशक के उप-खाते अथवा विदेशी जोखिम पूँजी निवेशक के रूप में पंजीकृत नहीं है।"

स्पष्टीकरण - इस खंड के प्रयोजन के लिए:

1. "भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) के साथ द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन" का अर्थ सेबी और समुद्रापारीय विनियामक के साथ हुए ऐसे द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन से है जिसमें कि, अन्य बातों के साथ-साथ, सूचना आदान-प्रदान करने का उपबंध होता है।
2. वित्तीय कार्रवाई कार्यदल के सदस्य का अर्थ वित्तीय कार्रवाई कार्यदल के सहयोगी (एसोसिएट) से नहीं है। "

(ii) पाद टिप्पणी (ii) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"(ii) मूल विनियमावली 5 मई 2000 के सा.का.नि. सं.388 (ई) के जरिये सरकारी राजपत्र के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गयी थी:

(ए) 09 अप्रैल 2002 के सा.का.नि. सं. 262(अ),

(बी) 19 अगस्त 2002 के सा.का.नि. सं. 577(अ),

(सी) 31 दिसंबर 2002 के सा.का.नि. सं.855(अ),

- (डी) 4 अगस्त 2004 के सा.का.नि. सं. 494(अ),
 (ई) 7 अप्रैल 2005 के सा.का.नि. सं. 221(अ),
 (एफ) 14 नवंबर 2005 के सा.का.नि. सं. 663(अ),
 (जी) 19 जनवरी 2006 के सा.का.नि. सं. 28(अ),
 (एच) 23 जुलाई 2007 के सा.का.नि. सं. 495(अ),
 (आई) 16 अक्टूबर 2007 के सा.का.नि. सं. 664(अ),
 (जे) 14 नवंबर 2007 के सा.का.नि. सं. 714(अ),
 (के) 15 फरवरी 2008 के सा.का.नि. सं. 91(अ),
 (एल) 23 जून 2009 के सा.का.नि. सं. 442(अ),
 (एम) 10 नवंबर 2012 के सा.का.नि. सं. 822(अ) और
 (एन) 17 दिसंबर 2012 के सा.का.नि. सं. 893(अ)।"

[सं. फेमा-243/2012-आर.बी.]

सी. डी. श्रीनिवासन, मुख्य महाप्रबंधक

CORRIGENDUM

Mumbai, the 10th September, 2013

G.S.R. 626(E).—In the Notification No.FEMA. 243/2012-RB dated 19th October 2012 of the Reserve Bank of India, Foreign Exchange Department, Central Office, published in the Gazette of Government of India, Extraordinary – Part II, Section 3, Sub-Section (i) *vide* G.S.R. No. 797(E) dated 30.10.2012,

- (i) in Regulation 2 for (xiia) the following shall be substituted, namely

“(xiia) ‘Qualified Foreign Investor (QFI)’ means

- (a)during the period from 9th day of August, 2011 to 15th day of July, 2012, a person who satisfied the following criteria at the relevant time;

- (i) resident of a country, that is compliant with the Financial Action Task Force (FATF) standards and is a signatory to the IOSCO’s Multilateral Memorandum of Understanding (MMoU); and

- (ii) satisfied the KYC requirements stipulated by SEBI.

Provided that such a person is not registered with SEBI as a Foreign Institutional Investor (FII) or Foreign Venture Capital Investor (FVCI).

- (b) With effect from 16th day of July, 2012, a person who satisfies the following criteria at the relevant time:

- (i) Resident in a country that is a member of FATF or a member of a group which is a member of FATF; and
 (ii) Resident in a country that is a signatory to IOSCO’s MMoU (and referred to as Appendix A Signatories therein) or a signatory of a bilateral MoU with SEBI

Provided that the person is not resident in a country listed in the public statements issued by FATF from time to time on jurisdictions having strategic AML/CFT deficiencies to which counter measures apply or that have not made sufficient progress in addressing the

deficiencies or have not committed to an action plan developed with the FATF to address the deficiencies;

Provided that such person is not resident in India;

Provided further that such person is not registered with SEBI as an FII or Sub-Account of an FII or FVCI.

Explanation – For the purposes of this clause :

1. “bilateral MoU with SEBI” shall mean a bilateral MoU between SEBI and the overseas regulator that, inter alia, provides for information sharing arrangements.

2. Member of FATF shall not mean an associate member of FATF.”

(ii) after Regulation 2(ii), the following Explanation shall be added, namely:

“*Explanation* - For the purposes of sub-paragraphs(2) and (3) above, in terms of the provisions of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, (i) in the case of the enterprises engaged in the manufacture or production of goods pertaining to any industry specified in the first schedule to the industries (Development and regulation) Act, 1951, a micro enterprise means where the investment in plant and machinery does not exceed twenty five lakh rupees; a small enterprise means where the investment in plant and machinery is more than twenty five lakh rupees but does not exceed five crore rupees; (ii) in the case of the enterprises engaged in providing or rendering services, a micro enterprise means where the investment in equipment does not exceed ten lakh rupees; a small enterprise means where the investment in equipment is more than ten lakh rupees but does not exceed two crore rupees.”

(iii) the Foot note (i) may be substituted, namely

“(i) The Principal Regulations were published in the Official Gazette vide G.S.R.No.388 (E) dated May 5, 2000 in Part II, Section 3, Sub-section (i) and subsequently amended as under:

- (a) G.S.R. No. 262(E) dated April 9, 2002;
- (b) G.S.R. No. 577(E) dated August 19, 2002;
- (c) G.S.R. No. 855(E) dated December 31, 2002;
- (d) G.S.R. No. 494(E) dated August 4, 2004;
- (e) G.S.R. No. 221(E) dated April 7, 2005;
- (f) G.S.R. No. 663(E) dated November 14, 2005;
- (g) G.S.R. No. 28 (E) dated January 19, 2006;
- (h) G.S. R. No. 495(E) dated July 23, 2007.
- (i) G.S. R. No. 664(E) dated October 16, 2007.
- (j) G.S.R.No. 714(E) dated November 14, 2007
- (k) G.S.R.No. 91(E) dated February 15, 2008.
- (l) G.S.R.No. 442(E) dated June 23, 2009.
- (m) G.S.R.No. 822(E) dated November 10, 2012 and
- (n) G.S.R.No. 893 (E) dated December 17, 2012.”

[No. FEMA-243/2012-RB]

C. D. SRINIVASAN, Chief General Manager